

big business and so on I hope my friend, Mr. Lokanath Misra, who has become my conscience-keeper in Parliament will rally to my support when I demand that the voice against monopoly, big money and reaction shall always prevail in this Parliament and in this voice both sides shall join together. That high tradition we shall always maintain.

SHRI CHANDRA SHEKHAR: It will be maintained. Do not worry.

THE ARMS (AMENDMENT) BILL, 1971

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Arms Act, 1959.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI RAM NIWAS MIRDHA: Sir, I introduce the Bill.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): What about the papers I asked for?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: In the afternoon, we are discussing the working of an important Ministry and a large number of Members will be participating in the debate. Therefore, we will have to adjourn till 2 P.M. only.

The House stands adjourned till 2 P.M.

The House then adjourned for lunch at half past one of the clock

The House reassembled, after lunch, at two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJENDRA PRATAP SINHA) in the Chair.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

श्री लाल आइवाणी (दिल्ली) : उप-सभाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि

आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा को आरम्भ करने का मुझको अवसर दिया है। मैं उनका भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे यह अवसर देने के लिए कुछ विलम्ब भी होने दिया। वैसे इस वर्ष जो हमने 4 मंत्रालय चुने विचार के लिए, उनमें से बाकी तीनों का सम्बन्ध देश की समृद्धि और सम्पन्नता से है, किन्तु यह जो मंत्रालय है, सूचना और प्रसारण का, उसका एक प्रकार से सम्बन्ध हमारे राजनैतिक ढाँचे से है। यह जरूर है कि देश की सम्पन्नता और समृद्धि में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है और होना चाहिए। लेकिन बाकी तीनों मंत्रालय, जिनमें से 2 की चर्चा हम कर चुके हैं और एक की करने जा रहे हैं, उनका किसी भी राजनैतिक ढाँचे से सम्बन्ध नहीं। किसी भी प्रकार का देश हो, वह लोकतंत्रीय हो अथवा और किसी व्यवस्था को स्वीकार करता हो, वहाँ पर प्रायः उन सभी विषयों के बारे में एक ही दृष्टिकोण हो सकता है। किन्तु जब हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बारे में चर्चा करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसके कार्यकलापों का विश्लेषण करते हैं, तो हमने जो राजनीतिक ढाँचा स्वीकार किया है, जो राजनीतिक प्रणाली स्वीकार की है, उसका बहुत बड़ा महत्व है और उसमें अलिप्त हो कर, उसमें अलग ह कर हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बारे में नहीं सोच सकते हैं। यह सब से प्रमुख बात है, जो मैं समझता हूँ कि हमको ध्यान करना चाहिये। किन्तु दुर्भाग्य से आज मंत्रालय का जिस प्रकार से काम चल रहा है, उससे लगता है कि इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है कि भारत ने लोकतन्त्र को स्वीकार किया है और यह निर्णय किया है कि हम देश की उन्नति लोकतंत्रीय तरीकों से करेंगे।

वास्तव में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जितना माग काम है, वह इस समय स्वभाविक रूप से सरकार के कार्यकलापों को, सरकार की उपलब्धियों को, जनता को